भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2776
दिनांक 18 मार्च, 2025

कृषि संकट सूचकांक

2776. श्री सुधीर गुप्ता :
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों की सहायता के लिए कृषि संकट सूचकांक विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त सूचकांक के अंतर्गत कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं;

(ग) ऐसे सूचकांक को विकसित करने के उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(घ) उक्त सूचकांक विकसित करने के लिए अपनाए जाने वाले आधार मापदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सूचकांक देश के कई भागों में किसानों की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने में किस प्रकार सहायक होगा जिसके कारण किसानों द्वारा अक्सर आत्महत्या की जाती है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख): पूरे देश हेतु कृषि संकट सूचकांक (फार्मर्स डिस्ट्रेस इन्डेक्स) (**FDI**) का व्यवस्थित मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। हालांकि**,** वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों की मदद के लिए एक पायलट अध्ययन "कृषि संकट और पीएम फसल बीमा योजना: वर्षा आधारित कृषि का विश्लेषण" किया गया था। एफडीआई में जलवायु परिवर्तनशीलता से लेकर मूल्य अस्थिरता और किसानों की कम जोखिम वहन करने की क्षमता आदि जैसे संकट के कई कारण शामिल हैं।

(ग) एवं (घ): बहुआयामी एफडीआई का अध्ययन उप-जिला स्तर पर किया गया जिसका उद्देश्य कृषि संकट के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना था। एफडीआई का मुख्य उद्देश्य विभिन्न हितधारकों को पहले से चेतावनी देने और सात प्रमुख मापदंडों के आधार पर किसानों के संकट की गंभीरता के बारे में नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपयोगकर्ता-अनुकूल साधन विकसित करना था जैसे कि जोखिम का खुलासा, अनुकूलन क्षमता, संवेदनशीलता, शमन और अनुकूलन कार्यनीतियां, ट्रिगर, मनोवैज्ञानिक कारक और प्रभाव **(अनुबंध)**। यह क्षेत्र की पहचान करके ठीक समय पर निवारक कार्रवाई को सक्षम बनाता है। एफडीआई, कार्यान्वयन के लिए एक स्केलेबल फ्रेमवर्क का भी प्रस्ताव करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकारी सहायता सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों तक कुशलतापूर्वक पहुँचे।

(ङ): एफडीआई को किसानों की परेशानी की पहचान करने हेतु निवारक उपाय करने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो तीन महीने पहले चेतावनी देता है। एफडीआई का उपयोग किसानों के संकट के कारणों को दूर करने और उन कारणों से निपटने के लिए उपाय विकसित करने के लिए एक योजनाबद्ध साधन के रूप में किया जा सकता है। इसका लक्ष्य एफडीआई के विभिन्न आयामों के आधार पर एक स्थान-विशिष्ट संकट प्रबंधन पैकेज की सिफारिश करना है। एफडीआई का उपयोग किसानों की परेशानी को कम करने के लिए सरकार और स्थानीय समुदाय द्वारा कार्रवाई बिंदुओं को वर्गीकृत और प्राथमिकता देने के लिए किया जा सकता है।

****

अनुबंध

{लोक सभा के दिनांक 18.03.2025 के अतारांकित प्रश्न सं. 2776 का भाग (ग) एवं (घ)}

एफडीआई में प्रयुक्त संकेतकों का स्पष्टीकरण

स्तंभ (पीलर)	**संकेतक-1**	**संकेतक-2**	**संकेतक-3**
एक्सपोजर	कीट/रोगों के कारण हानि (%)	बाढ़/चक्रवात से नुकसान (%)	सूखे के कारण नुकसान (%)
अनुकूली क्षमता	परिवार के मुखिया की शिक्षा (वर्ष में)	कुल स्वामित्व भूमि (एकड़ में)	पट्टे पर दी गई भूमि (एकड़ में)
संवेदनशीलता	सिंचित क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का %)	ऋणग्रस्तता (रु.)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय और घर में बच्चों की संख्या
अनुकूलन	गैर-फसल आय (कुल घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में)	सरकारी योजनाओं से लाभान्वित परिवारों की संख्या (वर्तमान वर्ष में)	घरेलू बचत (रु.)
चालू करना (ट्रिगर)	अनौपचारिक ऋण (रु.)	ऋण की अदायगी का दबाव (हाँ/नहीं)	तत्काल कृषि व्यय को पूरा करने के लिए नकदी की कमी (हाँ/नहीं)
मनोवैज्ञानिक	सामाजिक अलगाव की भावना (हाँ/नहीं)	पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ (हाँ/नहीं)	शराब का आदी (हाँ/नहीं)
प्रभाव	ऋणग्रस्तता में वृद्धि (हाँ/नहीं)	सार्वजनिक कार्यों (एमजीएनआरईजीए) में अधिक भागीदारी (हाँ/नहीं)	भोजन की खपत में कमी (हाँ/नहीं)

****